

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 698 / 2016 / भीलवाड़ा.

मैसर्स अरिहन्त सेनिटेशन, रामनगर, भीलवाड़ा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
घट-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री ओ. पी. दोसाया, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. खदाव, उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 26 / 06 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 99/वैट/15-16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 26.02.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, द्वितीय, वृत्त-बांसवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 28.10.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 27.10.2015 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रातः 8:15 AM पर बांसवाड़ा के पास स्थित खैरवाड़ा टोल नाके पर वाहन संख्या आर.जे.27/जीडी-1373 की जांच की गयी थी जिसमें गुजरात से सेरेमिक ग्लेज्ड टाईल्स का परिवहन किया जा रहा था। जांच पर वाहन चालक द्वारा वांछित दस्तावेज यथा माल का बिल, गुजरात राज्य के वैट अधिनियम के तहत जारी फार्म संख्या 402 दिनांक 26.10.2015, श्री पालीवाल ट्रांसपोर्ट कम्पनी की बिल्टी संख्या 125 दिनांक 26.10.2015 तथा अपीलार्थी को विभाग से प्राप्त घोषणा पत्र वैट-47 संख्या 4206923 प्रस्तुत किये गये थे परन्तु जांच अधिकारी ने यह अभियोग इस आधार पर स्थापित किया कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक 5693 दिनांक 14.5.2015 यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 5781 दिनांक 01.06.2015 के अनुसार जिन व्यवसायियों का वर्ष 2014-15 में सकल टर्नओवर रूपये 25 लाख से अधिक हो,



लगातार.....2



उन्हें घोषणा पत्र वैट-47 मैन्यूअल लेने के स्थान पर ओनलाईन प्रपत्र वैट-47ए जारी किया जाना आवश्यक था परन्तु इस प्रकरण में व्यवसायी द्वारा ओनलाईन प्रपत्र वैट-47ए जारी नहीं कर मैन्यूअल घोषणा पत्र वैट-47 जारी किया गया है जो वैट अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन है। इस आधार पर वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत माल पर शास्ति रूपये 87,741/- आरोपित की गई, जिसके विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील अस्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उक्त शास्ति आदेश विधि के विरुद्ध होने के साथ ही न्याय के विरुद्ध भी है। इस सम्बन्ध में तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी ने विधि की पूर्ण पालना करते हुए बिल, बिल्टी, गुजरात राज्य का घोषणा पत्र एवं राजस्थान राज्य के वैट नियम 53(1) के तहत वांछित घोषणा पत्र वैट-47 प्रस्तुत किये गये थे, जो प्रथम दृष्ट्या ही यह प्रदर्शित करते हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वैट अधिनियम की धारा 76(2) का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था। उन्होंने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में भी केवलमात्र यह आरोप लगाते हुए अभियोग स्थापित किया गया है कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा रूपये 25 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायी के लिये मैन्यूअल घोषणा पत्र वैट-47 के स्थान पर इलेक्ट्रोनिक घोषणा पत्र वैट-47ए जारी किया जाना दिनांक 01.06.2015 से बाध्यकारी किया था एवं इस परिवहन के दौरान इलेक्ट्रोनिक वैट-47 के स्थान पर मैन्यूअल वैट-47 जारी किया गया था, जो कि वास्तव में तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार अनिवार्य था। उन्होंने कथन किया कि इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी को एवं अपीलीय अधिकारी को यह युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत कर दिया था कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल भीलवाड़ा जिले के अन्तर्गत साम्प्रदायिक हिंसा होने के परिणामस्वरूप दिनांक 24.10.2015 से धारा 144 लगाते हुए इंटरनेट सेवायें सरकारी आदेश अनुसार बंद कर दी गयी थी तथा दिनांक 24.10.2015 से 26.10.2015 को सरकारी आदेशों के अनुसार नेट सेवायें पूर्णतः बंद थी एवं वे नेट सेवायें कब शुरू होंगी इसकी जानकारी व्यापारी को नहीं थी, ऐसी स्थिति में दिपावली का त्यौहारी सीजन होने के कारण माल का मंगवाया जाना आवश्यक होने से उनके द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए उनको जारी मैन्यूअल घोषणा पत्र वैट-47 परिवहन के दौरान जारी कर दिया गया एवं माल को रवाना किया गया जो दिनांक 27.10.2015 को वक्त जांच उपलब्ध था। इस तरह व्यवहारी




लगातार.....3



द्वारा किसी भी प्रावधान की कोई अवहेलना नहीं की गई है बल्कि इंटरनेट चालू नहीं होने की स्थिति में भी माल की घोषणा करने के उद्देश्य से उनके द्वारा मैन्यूअल घोषणा पत्र वेट-47 भी प्रस्तुत किया गया एवं जांच होने के पश्चात् इसका पूरा जवाब देते हुए इलेक्ट्रॉनिक घोषणा पत्र वेट-47ए भी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दोपहर में दो बजे प्राप्त कर ~~पेश~~ पेश कर दिया गया, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने ईमानदार व्यवसायी पर केवल मात्र शास्ति आरोपित करने की मंशा से ही शास्ति आरोपित कर दी जो विधि एवं न्याय के विरुद्ध होने से अपास्त योग्य है, इसी तरह अपीलीय अधिकारी द्वारा भी ~~किसी~~ युक्तियुक्त कारण पर विचार किये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की है वह भी विधि एवं न्याय के विरुद्ध है।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. इस प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि वेट अधिनियम की धारा 76(2) के अनुसार वांछित दस्तावेज यथा बिल, बिल्टी, वेट-47 वक्त परिवहन उपलब्ध थे और इस बिन्दु पर जांच अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह पूछा जाने पर कि उक्त अपीलार्थी व्यवहारी की वार्षिक टर्नओवर 25 लाख से अधिक होने से इलेक्ट्रॉनिक वेट-47ए जारी क्यों नहीं करवाया गया, तब ~~स्पष्ट~~ स्पष्ट रूप से पूर्ण युक्तियुक्त कारण बताते हुए यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि दिनांक 24.10.2015 से 26.10.2015 तक इंटरनेट सेवायें बंद थीं और इंटरनेट सेवायें बंद होने के सम्बन्ध में राजस्थान पत्रिका में दी गई खबर को भी प्रस्तुत किया गया था जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें इंटरनेट सेवायें बंद होने की खबर दी हुई थी। अपीलार्थी का यह कथन पूर्णतया प्रमाणित था कि इंटरनेट सेवायें धीमी चलने या बंद होने की वजह से उनके द्वारा कर दायित्व में ईमानदारी बरतने की मंशा से ही इलेक्ट्रॉनिक वेट-47ए प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मैन्यूअल वेट-47 जारी किया गया। ऐसी स्थिति में करापवंचन होने का कोई प्रश्न भी उत्पन्न नहीं हो रहा था एवं इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय (2001) 124 एस.टी.सी. 611 मैसर्स डी.पी.मैटल्स भी प्रकरण पर पूर्णतया लागू होता है कि जांच के समय किसी भी तरह के दस्तावेजों के सम्बन्ध में

 लगातार.....4



स्पष्टीकरण दिये जाने पर उसे माना जा सकता है। यहां यह टिप्पणी करना उचित होगा कि परिवहन के दौरान घोषणा पत्र लागू करने की मुख्य मंशा करापवंचन सम्भावित वस्तुओं पर घोषणा पत्र जारी होने से उनका लेखांकन बहियात में हो जाना सुनिश्चित किया जा सकता है।

7. इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ईमानदारी के साथ बिल, बिल्टी एवं घोषणा पत्र प्रस्तुत किये गये थे, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा धारा 76(2) का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है बल्कि इंटरनेट सेवाओं की वजह से विभागीय वेबसाइट चालू नहीं होने से इलेक्ट्रॉनिक वैट-47ए जारी नहीं हो सका एवं वह भी जांच के पश्चात् प्रस्तुत कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में करापवंचन किये जाने की कोई सम्भावना नहीं थी उसके बावजूद भी शास्ति का आरोपण किया गया है जो उचित नहीं है बल्कि युक्तियुक्त कारणों के प्रमाणित रूप से प्रस्तुत करने के बाद भी शास्ति का आरोपण से विभाग की न्यायिक विश्वसनीयता पर प्रभाव होता है।

8. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर आरोपित शास्ति को अपास्त किया जाता है एवं कर निर्धारण अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को जमा राशि का मय ब्याज तुरन्त रिफण्ड जारी करें।

9. निर्णय सुनाया गया।



( के. एल. जैन )  
सदस्य